दैनिक भास्कर
बुरहानपुर 10-02-2023

सहमति पत्र का मामला • मिल प्रबंधन ने इंदौर भेजा था प्रतिनिधि मंडल, कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत

नेपा मिल में खुला पेंशन सेवा केंद्र, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भरे जा रहे संयुक्त सहमति पत्र

भास्कर संवाददाता | नेपानगर

नेपा लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन फार्म जमा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब यह परेशानी हल हो गई है। नेपा मिल के एडमिन ऑफिस में पेंशन सेवा केंद्र खोला गया है। यहां कर्मचारियों से संयुक्त सहमति फार्म भरवाए जा रहे हैं।

दरअसल भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम नेपा लिमिटेड में क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इंदौर की ओर से 1 सितंबर 2014 से पूर्व के पेंशनधारी अफसर-कर्मचारी जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए पहले आवेदन किया हुआ था, उनके संयुक्त सहमति पत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इसके लिए नेपा मिल की ओर से एडमिन ऑफिस में पेंशन सेवा केंद्र खोला गया है। इसमें उच्च पेंशन के लिए योग्यता रखने वाले पेंशनधारियों के फार्म सूची के अनुसार 100-100 के समूह में भरे जा रहे हैं।

पेंशनधारियों के फार्म सूची के अनुसार 100-100 के समूह में भरे जा रहे

कर्मचारियों ने उठाया था ईपीएस-95 पेंशन का मुद्दा

ईपीएस-95 पेंशन को लेकर पिछले दिनों नेपा मिल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सवाल उठाए थे। नेपा मिल की ओर से कहा गया था कि इसको लेकर उचित कमेटियां गठित कर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने पर देरी हुई थी। नेपा प्रबंधन ने पिछले तीन महीने से इस कार्यालय से सतत संपर्क जारी रखा, लेकिन स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में मिल प्रबंधन विगत तीन महीने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ रहा।

नेपा मिल में ऑनलाइन संयुक्त सहमति पत्र भरे जा रहे हैं।

ईपीएस ... नेपा लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए सभी जगह चस्पा की सूचना

ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अपडेटेड आधार नंबर, पीपीओ नंबर, मोबाइल नंबर और सक्रिय खाते की बैंक पासबुक जरूरी है। नेपा मिल प्रबंधन की ओर से सूची के अनुसार पेंशनधारियों के साथ संपर्क कर फार्म भरवाए जा रहे हैं। आमजन की सुविधा के लिए नगर के अस्पताल, पेट्रोल पंप, मिल गेट और एडमिन गेट पर भी सूचना चस्पा की गई है। प्रयास किया जा रहा है कि ईपीएस पेंशन के फार्म सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई आखिरी तारीख से पहले भरवा लिए जाएं।

25 जनवरी को चर्चा करने भेजा प्रतिनिधि मंडल

25 जनवरी को प्रबंधन ने एक प्रतिनिधि मंडल इंदौर भेजकर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के जिम्मेदारों से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल लगातार 6 दिन तक वहीं रहा। इसके बाद दूसरे उच्च प्रतिनिधि मंडल को 1 फरवरी को इंदौर भेजा गया। इसने वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से चर्चा की। इसके बाद यहां फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख 4 नवंबर 2022 है। ऐसे में दो महीने की देरी भविष्य निधि कार्यालय द्वारा की गई 1 फरवरी को क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय से निर्देश मिलने पर सहमति पत्र ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। पिछले दिनों कर्मचारियों ने चिंता जताई थी कि संयुक्त सहमति पत्र भरने में कम समय बचा है। सहमति पत्र नहीं भरवाए गए तो हमें उच्च वेतन पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है। अब यह समस्या हल हो गई है।